राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–09 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता, मो॰–छोटी पहाड़ी निरंजनपुर, खरौनिया देवी स्थान के पुरब प्रेमजी कॉलोनी के ऑपोजिट, पोस्ट–बड़ी पहाड़ी, थाना–बाईपास, जिला–पटना, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
17.01.2023	श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता, मो॰–छोटी पहाड़ी निरंजनपुर, खरौनिया देवी स्थान के पुरब प्रेमजी कॉलोनी के ऑपोजिट, पोस्ट–बड़ी पहाड़ी, थाना–बाईपास, जिला–पटना, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–14.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक–16.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री राहुल कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–05.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना/निर्णय प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–02.02.2022 की प्रति भी संलग्न की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 15.02.2023 को उपस्थापित करें। **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—09 / 2023—24 (85 / 2022—2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.02.2023	दिनांक—17.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है, परंतु अपीलकर्त्ता से न तो शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री राहुल कुमार, छोटी पहाड़ी निरंजनपुर, पोस्ट—बड़ी पहाड़ी, जिला—पटना से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक—05.12.2022, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक—07.12.2022 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न आवेदन दिनांक—25.10.2022 को राज्यपाल सचिवालय, पटना के पत्रांक—224 दिनांक—14.12.2022 के माध्यम से आवेदन को लोक सूचना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, पटना को भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी भेजा गया है। अपीलार्थी श्री राहुल कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के समक्षा यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील शुल्क अप्राप्त रहने तथा लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक—05.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किये जाने के कारण प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/2/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **—सह—** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	